संख्या-7/2020/170 /12-05-2020-सा0-01/2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 04 फरवरी, 2020**

विषय-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है दिनांक 31 जनवरी, 2020 को मा० मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि इस योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व योजना का लाभ अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।

मा० मुख्यमंत्री के उक्त निर्देश के अनुपालन हेतु निम्नलिखित कार्यवाही तत्परता से कराये जाने की आवश्यकता है :-

(1) प्रदेश में **PM-KISAN** योजना के अन्तर्गत कुल अनुमानित लाभार्थियों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख है। इसमें से 2 करोड़ 28 लाख किसानों का डाटा भारत सरकार को भेजा जा चुका है। जनपद हेतु पात्र लाभार्थियों के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष 22 लाख लाभार्थियों का डाटा प्राथमिकता के आधार पर फीड कराया जाना है।

(2) भारत सरकार को प्रेषित डाटा में से 25 लाख किसानों का डाटा **PFMS** द्वारा अस्वीकृत किया गया है। यह डाटा इसलिए अस्वीकृत किया गया है कि इन किसानों का बैंक खाता संख्या तथा **IFSC** कोड में त्रुटि है, जिसे ठीक कराया जाना है।

(3) जनपदों द्वारा लगभग 8 लाख किसानों का पंजीकरण तथा बैंक खाते में उल्लिखित नाम में भिन्नता होने के कारण स्टॉप पेमेंट किया गया है। यदि बैंक खाता पंजीकृत किसान का ही है तो स्टॉप पेमेंट को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुलवा दिया जाय और यदि बैंक खाते में त्रुटि है, तो उसका संशोधन कराया जाय।

(4) भारत सरकार को प्रेषित डाटा में से **आधार ऑथेन्टिकेशन** के पश्चात् 1 करोड़ 27 लाख किसानों का डाटा आधार के अनुरूप नहीं पाया गया। इसमें से 71 लाख किसानों का डाटा ठीक कराया जा चुका है। शेष 56 लाख किसानों का डाटा ठीक कराया जाना है। इनमें 29 लाख किसान ऐसे हैं, जिनका आधार नम्बर तो ठीक है किन्तु उनका नाम आधार कार्ड में उल्लिखित नाम के अनुरूप डाटा बेस में नहीं है। इस डाटा को आधार कार्ड के अनुरूप यथाशीघ्र ठीक किया जाना है। शेष 27 लाख किसान ऐसे हैं जिनका आधार नम्बर ही गलत है। ऐसे किसानों का आधार नम्बर और आधार के अनुरूप उनका नाम **PM-KISAN** पोर्टल पर ठीक कराया जाना है। यदि इसे शीघ्रता से ठीक नहीं कराया गया तो इन किसानों को योजना की अगली किस्त का भुगतान नहीं मिल सकेगा।

(5) प्रदेश के 27 जिलों ने शत-प्रतिशत **Table Top Exercise** पूर्ण करते हुए योजना का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। 29 जिलों ने 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया है। शेष जनपदों का कार्य अभी पीछे है। ऐसे सभी 48 जनपद, जिनकी **Table Top Exercise** अभी पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें लक्ष्य निर्धारण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना होगा, ताकि अवशेष लाभार्थियों को चिन्हित कर निर्धारित समय में पात्र किसानों को योजना का लाभ पहुँचाया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- अतः **PM-KISAN** योजना के अवशेष कार्य को मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण करने के लिए आपसे अपेक्षा है कि कृपया व्यक्तिगत रूचि लेते हुए **दिनांक 07 फरवरी से 22 फरवरी तक अभियान चलाकर** ग्रामवार क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुये **PFMS** द्वारा रिजेक्ट 25 लाख डाटा में बैंक खाता दुरुस्त कराने तथा आधार ऑथेन्टिकेशन में रिजेक्टेड 56 लाख किसानों के डाटा में आधार संख्या तथा आधार के अनुरूप उनके नाम का सुधार अवश्य करा लें। साथ ही योजना के अन्तर्गत अवशेष लाभार्थियों का डाटा फीड कराते हुए विभिन्न कारणों से समाधान हेतु लम्बित एवं स्टॉप पेमेंट डाटा को भी दुरुस्त कराने की रणनीति बनाकर निर्धारित समय से पूर्व कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करायें, ताकि योजना के सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ यथाशीघ्र प्राप्त हो सके।

भवदीय
राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-7/2020/170(1)/12-05-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर प्रमुख सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
9- कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- समस्त उप निदेशक, उत्तर प्रदेश।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।